

निवर्तमान लोकसभा में भाजपा के दो सांसदों की 100% उपस्थिति, किसी चर्चा में शामिल नहीं हुए सांसद

नई दिल्ली। भाजपा संसद मोहन मंडावी और भागीरथ चौधरी ने सत्रहवीं लोकसभा के दौरान शत प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की। जिसमें उनके कार्यकाल के दौरान औसतन

जिम्मेदारी

■ मुझे जो काम सौंपा गया है, मैं उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा कर रखूँगा।



79 फीसदी उपस्थिति देखी गई। मंडावी ने कहा कि लोकसभा में उनकी ओर चौधरी की सीट अगल-बगल में थी। भागीरथ चौधरी ने सत्रहवीं लोकसभा के अदिवासी क्षेत्र काकेर का प्रतिनिधित्व करता है। जिसमें कोरोना महामारी के दौरान औसतन

आंदोलन से सांसदों ने 17वीं लोकसभा के दौरान अपनी सौ फीसदी उपस्थिति दर्ज करवी। संघों से एक-दूसरे के अगल-बगल सीट मिलनी थी। मंडावी

उपस्थित दुआ था। पीआरएस विधायिका की ओर से अंकेड़ साझा किए गए हैं। जिसके मुताबिक, राजस्थान के अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी और मंडावी ने मिसाल कायम की है। दोनों सांसदों ने 17वीं लोकसभा के दौरान अपनी सौ फीसदी उपस्थिति दर्ज करवी। संघों से एक-दूसरे के अगल-बगल सीट मिलनी थी।

उपस्थित देखी गई। मंडावी

ने कहा, मुझे जो काम सौंपा गया है, मैं उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा कर रहा हूँ। मैं तीसरांश विधायिका के अंदर काकेर का प्रतिनिधित्व करता हूँ। जिसमें कोरोना महामारी के दौरान औसतन

ओर से उग्र गए मुझे से जुड़ने को और चौधरी की सीट अगल-बगल में थी। अंकेड़ के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के हरीपुर से भाजपा सांसद पूर्णेन्द्र सिंह चैदेल सभसे सक्रिय समस्त

काकेर का प्रयास कर रही है। किसान

शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन, दागे गए आंसू गैस के गोले

नई दिल्ली। शंभू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन को समाप्त कर सकता है, जब बुनियादी अधिकारों के लिए लड़ते वाले किसानों पर आंसू गैस के गोले से हमला किया जाता है। मैं इस

पोर्ट पर साजा करते हुए कहा कि हमारा देश कैसे प्रगति कर सकता है, जब बुनियादी अधिकारों के लिए लड़ते वाले किसानों पर आंसू गैस के गोले से हमला किया जाता है। मैं इस

प्रदर्शनकारियों ने पुल पर लोग बैरिकेड

को तोड़ दिया। किसानों का प्रदर्शन

लगातार उग्र होता जा रहा है। किसानों

पर युलिस द्वारा छोड़े गए आंसू गैस के गोले दागे गए। पश्चिम बंगाल की

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसके

लेकर निंदा की है। केंद्र सरकार पर

हमला लगते हुए ममता बनर्जी ने इसके

भाजपा का कबूल हमला करार दिया

है। ममता बनर्जी ने शोशल मीडिया

तरह के कूल को लेकर भाजपा की

कड़ी निंदा करता है। उन्होंने कहा कि

किसानों के विरोध को दबाने के

लिए यह मोदी सरकार की

विफलता है। उन्हें एमएसपी के लिए

कानून के तहत प्रधानमंत्री की

पूरी करनी चाहिए थी। दूसरी मांग

की अधिकारों का लिए चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन करेगा। नए कानून के तहत पैनल में भारत के मुख्य न्यायाधीश

शमिल नहीं होंगे।

युलिस ने किसान प्रदर्शनकारियों पर

सांसदों के गोले दागे। अंबाला के

पास शृंखले में पंजाब के साथ राज्य की

समाज विधायिका सामने आने

लगातार उग्र होता जा रहा है। किसानों

पर युलिस द्वारा छोड़े गए आंसू गैस के

गोले दागे गए। पश्चिम बंगाल की

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसके

भाजपा का कबूल हमला करार दिया

है। यह जज पर छोड़ दिया

जाना चाहिए।

हाईकोर्ट से तीस्रा सीटलवाड़ा की

जमानत याचिका पर भीतर निपटाएं। मुख्य न्यायाधीश

मुनीता अग्रवाल और जस्टिस

रुख किया था। पीठ ने कहा कि

सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र अंतिल मामले

में जो निर्देश दिए थे, उनका पालन

करना चाहिए।

जमानत याचिका को छह हफ्ते के

भीतर निपटाएं। मुख्य न्यायाधीश

मुनीता अग्रवाल और जस्टिस

रुख किया था। पीठ ने कहा कि

सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र अंतिल मामले

में जो निर्देश दिए थे, उनका पालन

करना चाहिए।

जमानत याचिका को छह हफ्ते के

भीतर निपटाएं। मुख्य न्यायाधीश

मुनीता अग्रवाल और जस्टिस

रुख किया था। पीठ ने कहा कि

सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र अंतिल मामले

में जो निर्देश दिए थे, उनका पालन

करना चाहिए।

जमानत याचिका को छह हफ्ते के

भीतर निपटाएं। मुख्य न्यायाधीश

मुनीता अग्रवाल और जस्टिस

रुख किया था। पीठ ने कहा कि

सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र अंतिल मामले

में जो निर्देश दिए थे, उनका पालन

करना चाहिए।

जमानत याचिका को छह हफ्ते के

भीतर निपटाएं। मुख्य न्यायाधीश

मुनीता अग्रवाल और जस्टिस

रुख किया था। पीठ ने कहा कि

सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र अंतिल मामले

में जो निर्देश दिए थे, उनका पालन

करना चाहिए।

जमानत याचिका को छह हफ्ते के

भीतर निपटाएं। मुख्य न्यायाधीश

मुनीता अग्रवाल और जस्टिस

रुख किया था। पीठ ने कहा कि

सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र अंतिल मामले

में जो निर्देश दिए थे, उनका पालन

करना चाहिए।

जमानत याचिका को छह हफ्ते के

भीतर निपटाएं। मुख्य न्यायाधीश

मुनीता अग्रवाल और जस्टिस

रुख किया था। पीठ ने कहा कि

सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र अंतिल मामले

में जो निर्देश दिए थे, उनका पालन

करना चाहिए।

जमानत याचिका को छह हफ्ते के

भीतर निपटाएं। मुख्य न्यायाधीश

मुनीता अग्रवाल और जस्टिस

रुख किया था। पीठ ने कहा कि

सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र अंतिल मामले

में जो निर्देश दिए थे, उनका पालन

करना चाहिए।

जमानत याचिका को छह हफ्ते के

भीतर निपटाएं। मुख्य न्यायाधीश

मुनीता अग्रवाल और जस्टिस

रुख किया था। पीठ ने कहा कि

